न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 03/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मदनलाल गोदीपुत्र भीयाराम जाति घांची निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।		1. सरंपच, ग्राम पंचायत, मण्डला पंचायत समिति सोजत जिला पाली (राज0)। 2. रतनलाल पुत्र भाणीदेवी दोहिता भीयाराम पुत्र चुन्नीलाल जातियान घांची निवासी घांचीयो की बड़ी हथाई, साकिन सोजतसिटी, तहसील सोजत। 3. सोहनीदेवी पुत्री भीयाराम पत्नि राणाराम जाति घांची निवासी बड़ा खुर्मीयों का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 4. मुली देवी पुत्री भीयाराम पत्नि राणाराम जाति घांची निवासी हाल मकान नम्बर 34, जनता कॉलोनी, पाली तहसील व जिला पाली(राज0)। 5. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, जिला पाली (राज0)।

राजस्व म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75(1) (डी.) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ आदेश दिनांक 05.08.2019 म्यूटेशन सं0 640/2019 ग्राम पंचायत – मण्डला पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री भवानीसिंह जैतावत एवं श्री नरपतसिंह अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री गजेन्द्र सोनी एवं श्री देवेन्द्र व्यास, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2
3. श्री दुर्गादास, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 व 4

–: निर्णय :– दिनांक– 09.03.2021

अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने यह राजस्व अपील विरूद्व रेस्पो0 अन्तर्गत धारा 75(1) (डी.) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बखिलाफ आदेश दिनांक 05.08.2019 म्यूटेशन सं0 640/2019 ग्राम पंचायत – मण्डला पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली के विरूद्व पेश की है कि सरहद मौजा सरदारपुरा स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म गै0मु0बाड़ा ख0नं0 170 रकबा 2.8600 है0 किस्म बारानी अव्वल, ख0नं0 176 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.5900 है0 व ख0नं0 340 रकबा 0.3233 है0, ख0नं0 341/1 रकबा 0.0134 है0, ख0नं0 344/2 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

0.2633 है0, ख0नं0 346 रकबा 0.429 रकबा 0.4300है0, ख0नं0 349/2 रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 429 रकबा 0.1800 है0 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.2300 है0 किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट की माता सुआ देवी पत्नि भीयाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज थी, एवं अपीलाण्ट की माता सुआ देवी का देहान्त अचानक दिनांक 25.05. 2019 को हो गया था। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में कब्जाकाश्त मौके पर अपीलाण्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 का चला आ रहा है, तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 का मौके पर आज दिन तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलाण्ट की माता सुआ देवी व इसके पिता भीयाराम ने आज से करीब 25 वर्ष पहले अपीलाण्ट को गोद लिया था, व गोद की सारी रिति रिवाज, रश्में पूरी की थी। तब से लगाकार आज दिन तक अपीलाण्ट अपनी माता सुआ देवी की सेवा करता आ रहा है तथा अपीलाण्ट के पिता का देहान्त भी करीब 25 वर्ष पहले हो चुका था। लेकिन अपीलाण्ट के पक्ष में उसके माता पिता द्वारा गोदनामा का रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नही करवा सकें एवं अचानक दोनो का देहान्त हो गया तथा अपीलाण्ट ने ही अपने माता पिता के पीछे सभी सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार सभी कार्यक्रम व गंगाप्रसादी के कार्यक्रम पुरे किये थे। अपने समाज के राव व भाट की बही में भी दिनांक 12.06.2019 को बहैसियत पुत्र के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया था तथा अपीलाण्ट के पिता की संतान के रूप में तीन बहिने जिसमें सबसे बड़ी भाणी देवी थी, जिसका देवान्त सन् 1998 में हो चुका था। उसके एक मात्र संतान रेस्पोडेंट संख्या 2 रतनलाल है तथा दुसरी पुत्री सोहनी देवी व तीसरी पुत्री मुली देवी जो जीवित है, तथा रेस्पोडेंट 3 व 4 है। अपीलाण्ट का गोदनामा चूँकि रजिस्टर्ड नही होने की वजह से अपीलाण्ट ने अपने आप को भीयाराम का गोदी पुत्र घोषित करवाने हेतु अपर जिला एवम् सेंशन न्यायाधीश महोदय, सोजत के न्यायालय में एक सिविल वाद पेश किया था, जो प्रकरण संख्या 10/2019 दर्ज है। जिससे रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4 व 5 को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया, जिसमें सभी की तामिल हो चुकी है और रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4 व 5 को इस बात की संपूर्ण जानकारी है कि इस कृषि भूमि बाबत् म्यूटेशन का मामला विवादग्रस्त है। जिसका निपटारा उक्त सिविल वाद के निर्णय के पश्चात् ही विधिवत् रूप से किया जा सकता है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 2 को यह सम्पूर्ण जानकारी है कि भीयाराम के एक गोदी पुत्र अपीलाण्ट मदनलाल भी है, जिसका उक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा बनना पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष भी अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि, यह फौतेदगी म्यूटेशन विवादग्रस्त है। इसलिए आप इसमें आगे म्यूटेशन तस्दीक नही करावे। चूँकि धारा 135 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में शक्तियॉ राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.09.1981 द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदत की गई थी। जिसमें जो म्यूटेशन विवादग्रस्त नही हो, उसको भरने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है। लेकिन जहां भूमि का म्यूटेशन विवादग्रस्त होता है वहां पर धारा 135 (2) में तहसीलदार या नायब तहसीलदार ही म्यूटेशन पारित करने का अधिकार रखते है। जब अपीलाण्ट को यह जानकारी हो गई कि, हल्का पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 से मिलावट कर अपने नाम विधि विरूद्व तरीके से म्यूटेशन भरवा रहें है तथा हल्का पटवारी से पुछताछ की तो हल्का पटवारी ने बताया कि मैने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

मेरे रजिस्टर में म्यूटेशन दर्ज तो कर लिया है, पर सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला से स्वीकृत करवाना शेष है। तब प्रार्थी ने दिनांक 02.08.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 5 तहसीलदार सोजत के समक्ष उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में म्यूटेंशन रूकवाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि, हल्का पटवारी ने अपने नामान्तरकरण रजिस्टर्ड में मृतका सुआ देवी पत्नि भीयाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज कर दिया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला से स्वीकृत करवाना शेष है। ऐसी परिस्थितियों में म्यूटेशन दर्ज रजिस्टर्ड को अतिशीघ्र मंगवाया जाकर म्यूटेशन तस्दीक करवाने की कार्यवाही को रोके जाने के तुरन्त प्रभाव से आदेश करावें। साथ ही दोनो पक्षो को सुनने का अवसर प्रदान कर म्यूटेशन अमल दरामद करने की विधिवत् रूप से कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करावें। जैसे ही यह प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के समक्ष पेश किया गया, तो दिनांक 03.08.2019 को शनिवार एवं दिनांक 04.08.2019 को रविवार का अवकाश होने की वजह से रेस्पोडेंट संख्या 5 तहसीलदार सोजत ने मुझ अधिवक्ता के सामने तुरन्त प्रभाव से हल्का पटवारी मण्डला को टेलीफोन कर सूचना दी कि, सुआ देवी पत्नि भीयाराम के वारिसान का म्यूटेशन भरने बाबत मेरे समक्ष धारा 135 (2) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है, मामला विवादग्रस्त है। सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला के समक्ष म्यूटेशन स्वीकृत हेतु पेश नही करें तथा दिनांक 05.08.2019 सोमवार को यह म्यूटेशन मेरे समक्ष पेश करें। क्योंकि इसका निस्तारण करने की शक्तियॉ मेरे पास है, ग्राम पंचायत के पास नही है तथा हल्का पटवारी ने भी फोन पर आदेश की पालना करने बाबत हॉ भर ली। इसके बावजूद भी हल्का पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 से मिलावट कर रेस्पोंडेंट संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से एवं आर्थिक प्रलोभन में आकर के अपने उच्च अधिकारी रेस्पोडेंट संख्या 5 तहसीलदार साहब, सोजत के आदेश की अवहेलना करते हुए, दिनांक 05.08.2019 को जोर–जबरदस्ती रेस्पोंडेंट संख्या 1 से म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिया जिससे व्यथित होकर ठोस आधार पर अपीलाण्ट अपील पेश है। अपील अपीलाण्ट द्वारा जब गोदीपुत्र घोषित करवाने हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के समक्ष एक सिविल वाद संख्या 10/2019 पेश कर दिया था, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 5 पक्षकार है, जिनको उक्त वाद का नोटिस भी दिनांक 24.6.2019 तक तामिल हो चुका है। जिससे रेस्पोडेंट सख्या 5 को सम्पूर्ण जानकारी हो गई थी, कि सुआ देवी फौत हो चुकी है, तथा उसके पीछे वारिसानो के आपस में गोदी पुत्र होने का विवाद चल रहा है, तो तहसीलदार सोजत को स्वतः ही हल्का पटवारी से उक्त म्यूटेशन बाबत् जानकारी प्राप्त कर हल्का पटवारी को सिविल वाद के निस्तारण तक म्यूटेशन नही भरने हेतु पाबंद करना चाहिये था। जो रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा लिखित रूप से हल्का पटवारी को पाबंद नही करने में बहुत भारी कानूनी भूल की है। जिससे भी रेस्पेडेंट संख्या 1 का आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा गोदी पुत्र घोषित करवाने बाबत् जो सिविल वाद पेश किया गया जिसमें रेस्पोंडेट संख्या 2 पक्षकार है। जिसने अपना अधिवक्ता भी नियुक्त किया है। जिसको उक्त गोदीपुत्र बाबत् विवाद होने की समपूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी उसने कानून को ताक में रखते हुए अपने नाम पर म्यूटेशन भरवाने की विधि विरूद्व तरीके से कार्यवाही कर म्यूटेशन भरवाया और अपीलाण्ट को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

अपने हक हकूक एवंम् अधिकारो से वांछित किया। जिससे भी रेस्पोडेंट संख्या 1 का म्यूटेशन स्वीकृत आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा गोदी पुत्र घोषित करवाने बावत् जो सिविल वाद पेश किया गया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 पक्षकार है। जिसने अपना अधिवक्ता भी नियुक्त किया है। जिसको उक्त गोदी पुत्र बावत् विवाद होने की सम्पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी उसने कानून को ताक में रखते हुये अपने नाम पर म्यूटेशन भरवाने की विधि विरूद्व तरीके से कार्यवाही कर म्यूटेशन भरवाया और अपीलाण्ट को अपने हक हकूक एवं अधिकारो से वांछित किया। जिससे भी रेस्पोंडेंट संख्या 1 का म्यूटेशन स्वीकृत आदेश निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को जब किसी भी विवादग्रस्त म्यूटेशन भरने का अधिकार धारा 135 (1) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्राप्त नही है तथा अपीलाण्ट ने भी ग्राम पंचायत मण्डला के सरपंच रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष अपने आप को गोदी पुत्र होने एवं अपने नाम पर भी 1/4 हिस्से का म्यूटेशन भरवाने एवं गोदीपुत्र घोषित करवाने बावत् वाद विचाराधीन होने की लिखित में सूचना दी थी, और निवेदन किया था, कि आपको विवादग्रस्त म्यूटेशन भरने का क्षैत्राधिकार नही है और आप कृपया म्यूटेशन स्वीकृत नही करें तथा आपके समक्ष यदि हल्का पटवारी गलती से भी म्यूटेशन स्वीकृत हेतु पेश करें, तो उसमें नोट लगा कर तहसीलदार सोजत के समक्ष धारा 135 (2)राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में विधिवत् रूप से कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करावें। यह सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोंडेंट संख्या 1 को होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 2 व हल्का पटवारी से मिलावट कर आर्थिक प्रलोभन प्राप्त कर विधि विरूद्व तरीके से व अपने अधिकार क्षैत्र के बाहर होने के बावजूद भी यह विवादग्रस्त म्यूटेशन स्वीकृत किया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। जहॉ पक्षकारो के मध्य हक का प्रश्न विवादित हो एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो, तो नामान्तरकरण सिविल वाद के निर्णय के बाद ही पारित किया जाना चाहिए, यह विधि का विधान है। लेकिन सिविल वाद विचाराधीन होने की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व 5 व हल्का पटवारी को होने से बावजूद भी विधि विरूद्व तरीके से म्यूटेशन स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। गोद से सम्बंधित विवाद सिविल न्यायालय में तय होते है, वहां नामान्तरकरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नही की जा सकती है। क्योंकि जहां भी विवादग्रस्त नामान्तरकरण हो वहां धारा 135(1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की परिधि में नही आता है। जिसमें ग्राम पंचायत को म्यूटेशन स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त नही है तथा धारा 135(2) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भी प्रावधान मात्र तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को प्राप्त है। लेकिन उसमें भी यदि सिविल वाद गोद से सम्बंधित विवाद सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसके निर्णय के पश्चात् ही तहसीलदार म्यूटेशन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। जबकि इसमें भी सिविल न्यायालय में गोदी पुत्र तय करवाने बाबत् वाद विचारधीन है। ऐसी परिस्थितियो में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। नामान्तरकरण एक विधिक प्रकिया है, जहां गोदनामा का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो उसमें राजस्व मण्डल भी हस्तक्षेप नही कर सकता है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्व होने से

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निरस्त करने योग्य है। अपील अन्दर म्याद पेश है, अन्य उजरात बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। इस प्रकार अधिवक्ता मय अपीलाण्ट ने राजस्व अपील मय शपथ–पत्र, धारा 81 आर0एल0आर0एक्ट 1956 प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मण्डला नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 05.08.2019 को निरस्त फरमाया जानें तथा तहसीलदार सोजत को रिमाण्ड किया जाकर कि दोनो पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनने के पश्चात पुनः म्यूटेशन अमल दरामद करने का निर्णय पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व अपील के संलग्न अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का मौके पर विवादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त कृषि भूमि हिस्सेदारी बाबत् चूँकि वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा मामला विवादग्रस्त होने से ग्राम पंचायत मण्डला को म्यूटेशन स्वीकृत करने का कतई अधिकार प्राप्त नही है तथा प्रार्थी ने तहसीलदार सोजत के समक्ष धारा 135(2) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2019 को पेश कर दिया था, तथा तहसीदार सोजत ने भी उसी समय हल्का पटवारी को उक्त विवादग्रसत म्यूटैशन बाबत् टेलीफोन पर आदेश दिया था, कि सुआ देवी पत्नि भीयाराम धांची निवासी सरदारपुरा के फौतेदगी म्यूटेशन बाबत् मेरे समक्ष धारा 135 (2) में प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है और अब आप उक्त म्यूटेशन को सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला के समक्ष स्वीकृत हेतु पेश नही करें, एवं तुरन्त प्रभाव से यह म्यूटेशन मेरे समक्ष पेश करें। ताकि दोनो पक्षो को विधिवत् रूप से सुनने के पश्चात निर्णय पारित किया जा सके। लेकिन हल्का पटवारी ने तहसीलदार सोजत के आदेश की पालना नही की, एवं विधि विरूद्व तरीके से हल्का पटवारी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलावट कर अपना स्वार्थसिद्व कर अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिया, जिसकी पालना व प्रभाव को रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा, प्रार्थी अपने हक हकूक एवं अधिकारो से वांछित हो जायेगा तथा अप्रार्थी संख्या 2 विवादग्रसत कृषि भूमि बेचान करने पर उतारू है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा वाद की बाहुल्यता होगी, और दोनो पक्षकार खर्चे से बरबाद होंगे तथा यह प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा गोदीपुत्र का निर्णय भी सिविल न्यायालय से होगा उस निर्णय के अनुरूप ही म्यूटेशन भरा जायेगा। ऐसी परिस्थितियो में अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डला के आदेश दिनांक 05.08.2019 को स्थागित किया जाना एवं उसके प्रभाव में पालना को स्थगित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा प्रथम दृष्टया अधिकारिता के बिना दी गई है, जिसे स्थगित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील के विचाराधीन रहते हुये ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा म्यूटेशन अमल दरामद के स्वीकृत आदेश दिनांक 05.08.2019 को स्थगित करते हुये, अप्रार्थी संख्या को उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान, बस्सीस, रहन, दान, वसीयत व हस्तान्तरण करने से रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस जरिए सम्मनस तलब किये गये। रेस्पो0 सं0 1 को बावजूद तामिली/सूचना बिना कोई सूचना अनुपस्थित रहने से तथा श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता द्वारा रेस्पो0 सं0 1 की ओर से वकालतनामा पेश करने की अण्डरट्रेकिंग लिये

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

जाने के पश्चात भी दिनांक 09.09.2019 से आज तक वकालतनामा पेश करने मे विफल रहने से अवसर समाप्त किया गया। रेस्पो0 सं0 1 व 2 को बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी दिनांक 08.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पो0 सं0 2 की ओर से श्री गजेन्द्र सोनी अधिवक्ता तथा श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता तथा रेस्पो0 सं0 3 व 4 की ओर से श्री दुर्गादास अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 09.09.2019 को पेश किये, सामिल मिसल किये गये। श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता ने रेस्पो0 सं0 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया है, आज उपस्थित है। जिससे अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र बाबत् राजस्थान राज्य सरकार के प्रतिनिधी अपर लोक अभियोजक श्री गजेन्द्र सोनी द्वारा उक्त अपील में पैरवी करने पर प्रतिबन्ध लगाने बाबत् दिनांक 01.10.2019 प्रभावहीन (Infractous) हो जाने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को पत्रांक/कोर्ट/19/786 दिनांक 23.10.2019 द्वारा उभय पक्षों को सुना जाकर ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 640 दिनांक 05.08.2019 के जरिए तहसील परत मूल नामान्तरकरण प्रति चाही गई, जो प्रस्तुत हुयी, सामिल मिसल की गई।

बहस वकुलाय राजस्व अपील सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने व्यक्त किया कि सिविल न्यायालय में गोदी पुत्र तय करवाने बाबत् वाद विचारधीन है। ऐसी परिस्थितियो में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। नामान्तरकरण एक विधिक प्रकिया है, जहां गोदनामा का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो उसमें राजस्व मण्डल भी हस्तक्षेप नही कर सकता है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। अपील अन्दर म्याद पेश की है। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मण्डला नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 05.08.2019 को निरस्त फरमाया जानें तथा तहसीलदार सोजत को रिमाण्ड किया जाकर कि दोनो पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनने के पश्चात पुनः म्यूटेशन अमल दरामद करने का निर्णय पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस मे अधिवक्तागण रेस्पोडेन्टस ने व्यक्त किया कि राजस्व अपील में वर्णित तथ्यों में विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्व स्वीकृत नामान्तरकरण के परिपेक्ष्य में विवादग्रस्त आराजी के सम्बद्व गोदनामा की वैधता विनिश्चित्ता किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 10/90 अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश महोदय सोजत के न्यायालय में जैरकार होना उल्लेखित किया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रारम्भ से अन्त तक के वर्णित तथ्यो का अवलोकन करने एवं बहस वकुलाय पर भी गौर करने पर वास्तविक रूप से विवादग्रस्त आराजी की कृषि भूमि के सम्बद्व में गोद पुत्र के गोदनामा तथा अन्य दस्तावेजात की वैधता विनिश्चित्ता किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 10/90 अपर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

जिला एवं सैशन न्यायधीश महोदय सोजत के न्यायालय में जैरकार होना उल्लेखित है जो बहस में वर्णित तथ्यों से भी स्पष्टतः प्रमाणित है। फलस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील क्लीन हैण्ड से तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता से परे तथा विवादग्रस्त भूमि उच्चतर न्यायालय में न्यायिक प्रकियाधीन जैरकार होने से खारिज योग्य है लिहाजा खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील वास्तविक रूप से विवादग्रस्त आराजी की कृषि भूमि के सम्बद्व में गोद पुत्र के गोदनामा तथा अन्य दस्तावेजात की वैधता विनिश्चित्ता किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 10/90 अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश महोदय सोजत के न्यायालय में जैरकार है। फलस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील क्लीन हैण्ड से तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता से परे तथा विवादग्रस्त भूमि उच्चतर न्यायालय में न्यायिक प्रकियाधीन जैरकार होने से खारिज योग्य है, लिहाजा खारिज की जाती है। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के निस्तारण पश्चात् विवादग्रस्त भूमि के सम्बद्व में सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner